जन प्रेरित अभियान .
सर्मथ बस्तर के लिए लोक नियोजन

1. शिक्षा

1.1. बस्तर में शिक्षा की वर्तमान स्थिति

- 2011 की जनगणना के अनुसार बस्तर जिले की साक्षरता दर 53 प्रति"ात थी। इस दशक में मामूली सुधार की उम्मीद है।
- जिले में स्नातकों की संख्या साक्षर आबादी का लगभग पांच प्रतिशत है।
- ज़िले में कुल 595 गाँव, 103000 से अधिक छात्र, 2100 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं।
- प्रति विद्यालय छात्रों की औसत संख्या 48 है।
- प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में उच्च विद्यालयों की संख्या 77 और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 99 है।
- 103 आश्रम शालाएँ हैं जिनमें कुल 7400 छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की क्षमता है।
- 9.2 क्षमतायें और संभावनाएँ :
- प्रायः पाया गया है कि जहां भी अच्छी गुणवत्ता के शिक्षण के साथ शिक्षा के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं वहा छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और साबित किया है कि पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों द्वारा भी पर्याप्त अवसर दिए जाने पर शैक्षणिक योग्यता हासिल की जा सकती है। शिक्षा में निवेश का सामाजिक रिटर्न हमेशा अधिक होगा, बशर्ते निवेश प्रयास अच्छी तरह से निर्देशित हों और निर्धारित निवेश राशि अच्छी तरह से खर्च हो ।
- शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों और शेष आबादी के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के मौजूदा अंतर को पाटना संभव है। जनसंख्या के एक वर्ग के बीच

यह धारणा है कि विकास के प्रयासों केंद्रित रखने में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।

- वनवासी समुदायों के छात्रों के लिए अनुकूलित स्कूल पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पद्धति को विकसित करने की आवस्यकता है ताकि उन्हें उन उदाहरणों और संदर्भों का उपयोग करके अवधारणाओं को सीखना न पड़े जो कि उनके तत्काल क्षेत्र के अनुभव के भीतर नहीं हैं। यह व्यवस्था वनवासी समुदायों के छात्रों के लिए बेहतर समझ विकसित करते हुए और उन्हें त्वरित सीखने की सुविधा प्रदान कर सकता है।
- युवाओं और अन्य लोगों का कौशल निर्माण उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है। विकसित कौशल का उपयोग कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों (जैसे जैव–कीटनाशक या खाद का उत्पादन, मत्स्य पालन, उपज का प्रसंस्करण आदि) या गैर–पारंपरिक कौशल जैसे ड्राइविंग, कंप्यूटर का उपयोग, खुदरा और खानपान सेवाओं आदि के लिए हो सकता है। स्थानीय चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों के साथ चर्चा से पता चला कि कम्प्यूटरीकृत लेखांकन, बुनियादी कंप्यूटर संचालन, खुदरा व्यापार आदि में प्रासंगिक कौशल में प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है। आतिथ्य क्षेत्र में भी प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है।अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल, स्थानीय व्यावसायिक उद्यमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, नगरनार में आगामी स्टील प्लांट में विभिन्न प्रकार के कौशल वाले श्रमिकों और सेवा प्रदाताओं की मांग को बढ़ाएगा। स्थानीय युवाओं को शामिल कर ऐसे कौशल वर्ग की एक इन्वेंट्री बनायी जा सकती है जिन्हे आवश्यकता के अनुरूप पूर्व से ही प्रशिक्षित कर तैयार रखा जा सकता है।
- एथलेटिक्स और खेल में आदिवासी युवाओं की जन्मजात क्षमता है। दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों में असाधारण शारीरिक सहनशक्ति और जुड़ाव की आवश्यकता वाली जीवन शैली के कारण, वे कोचिंग और अपेक्षित सुविधाओं के प्रावधान के साथ खेल और एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई योजनाओं को लागू किया जा सकता है।

1.2. मौजूदा योजनाएँ और व्यवस्थाएँ

- शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए जिले भर में स्कूलों का एक अच्छा नेटवर्क स्थापित किया गया है। आश्रम शाला या आवासीय विद्यालय भी इसी के अंग हैं। हालांकि ऐसे स्कूलों की और अधिक आवश्यकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग सभी स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं जैसे कि स्कूल भवन, शौचालय और पीने के पानी की

सुविधा आदि प्रदान की गई है। अधिकांश स्कूलों को बिजली सुविधा भी प्रदान की गई है।

- अन्य सुविधाएं जैसे कि मध्याह्न भोजन, वर्दी का प्राविधान, स्कूली पाठ्य पुस्तकें और कुछ छात्रों को साइकिल आदि भी प्रदान की जा रही हैं।
- हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और सुविधाओं के प्राविधान के लिए काफी गुंजाइश है। शिक्षक प्रशिक्षण की विधियों और उनकी क्षमता पर भी निगरानी तंत्र में सुधार पर ध्यान दिए जाने की आव"यकता है।
- सरकारी विभागों के अलावा कुछ अन्य संगठन जैसे ईसाई मिशनरी, वनवासी कल्याण आश्रम भी हैं जो आदिवासी क्षेत्रों में (ज्यादातर सरकार द्वारा सहायता प्राप्त) स्कूल चला रहे हैं। उल्लेखनीय पहल में से एक माता रुकमणी सेवा संस्थान है, जिसकी स्थापना श्री धर्मपाल सैनी द्वारा की गई है, जो जिले और कुछ पड़ोसी क्षेत्रों में 37 स्कूल संचालित करता है। रामकृष्ण मिशन भी पड़ोसी जिले में एक स्कूल चलाता है।

1.3. क्षमताओं के कम उपलब्धि के कारण

1.3.1. नियंत्रण का पैटर्न

- शिक्षा प्रणाली के लाभार्थी स्थानीय लोग किस प्रकार की शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहते हैं और इसे किस तरीके से प्रदान किया जाना है। यह तय करने के लिए उनके पास न तो कोई विकल्प है और ना ही उन्हें शायद इस बात की पूरी समझ है कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या होगा। वास्तव में यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कई विशेषज्ञों को मिला है। हालाँकि आदिवासी लोग अपने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के बारे में कुछ सुझाव देते हैं। इनमे सबसे अहम शिक्षा देने की भाषा है। विभिन्न अनुसूचित जनजातियों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनेक भाषाएँ और बोलियाँ हैं। जैसे गोंडी, हलाबी, भटारी आदि। शिक्षा का माध्यम आमतौर पर हिंदी है और सभी पाठ्य पुस्तकें भी हिंदी में ही उपलब्ध है। स्थानीय भाषाओं में कोई पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं हैं। बेशक यह एक मुद्दा है जिसे आसानी से हल नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक भाषा में कम संख्या में छात्रों की उपलब्धता के कारण विभिन्न भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के रोल आउट में कठिनाइयाँ हो सकती हैं।

  यह भी पाया जाता है कि विषयों को ग्रामीण और वन में रहने वाले बच्चों को ऐसे वातावरण के उदाहरणों और संदर्भों के साथ पढ़ाया जाता है जिनसे वे परिचित नहीं

हैं। सबसे सरल उदाहरण देने के लिए वर्णमाला का परिचय देने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक या चित्र स्थानीय वातावरण से हो सकते हैं, जिसके साथ बच्चा परिचित है। उदाहरणों का शहरीकरण ग्रामीण और जनजातीय छात्रों के लिए विदेशी सा होता है। अवधारणाओं को स्थानीय पर्यावरण की वस्तुओं, वनस्पतियों और जीवों के संदर्भ के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। यंहा पर यह भी उल्लेखनीय है की उनके पास आम तौर पर प्रयोगशाला के उपकरण और कम्प्यूटरीकृत या वेब–आधारित शिक्षण उपकरण आदि की सीमित पहुंच है। स्कूल प्रणाली की छुट्टियों का पैटर्न सभी स्कूलों के लिए एक समान है। यह भी आदिवासी समुदाय से आने वाले छात्रों के लिए कठिनाइयां पेश करता है। क्योंकि इनमे स्थानीय त्योहारों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसी तरह ग्रामीण छात्रों को मॉनसून के दौरान स्कूल जाना मुश्किल हो सकता है। इसमें कुछ लचीलापन लाने की जरुरत है।

- शिक्षा की प्रणाली को स्थानीय आबादी की विशेषताओं को ध्यान में रखने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है और स्थानीय पहलुओं पर विचार किए बिना मानकीकृत किया गया है। शिक्षाविदों या अधिकारियों के द्वारा इन पर नवाचार करने की न तो आव"यकता महसूस की गयी और न हीं कोई पहल की गयी है। माता–पिता शायद इस संदर्भ में विशिष्ट शिक्षण के महत्व को महसूस करने एवं इनमें सुधार हेतु विचार देने में सक्षम नहीं हैं।
- शिक्षकों की उपस्थिति की नियमितता पर स्थानीय लोगों का कोई स्पष्ट नियंत्रण नहीं है। चूंकि कुछ छात्र पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं इसलिए उनके माता–पिता शायद शिक्षा की गुणवत्ता को आंकने की स्थिति में नहीं होंगे। कौशल–विकास के क्षेत्र में स्थानीय लोगों को विभिन्न कौशलों के बारे में जागरूक किया जा सकता है और इसके लिए गुंजाइश बनाई जा सकती है। जिसके बाद उनकी प्राथमिकताओं का पता लगाया जा सकता है।

1.3.2. संस्थागत क्षमताएं

- यह सच है कि सभी गांवों में स्कूलों का एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित किया गया है। स्कूलो में नामांकन बढ़ रहा है। शिक्षा की विभिन्न योजनाओं जैसे कि मध्याह्न भोजन योजना या छात्राओं के लिए बाय–साइकल आदि को शुरू किया गया है। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता के सवाल पर सीमित ध्यान दिया जा रहा है जैसे शिक्षकों की क्षमतायें, शिक्षण के दौरान दिए जाने वाले अवधारणाओं का विवरण आदि। कुछ स्कूलों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता है। शिक्षकों की संख्या, उनकी योग्यता और क्षमताओं की पर्याप्तता, उपस्थिति की नियमितता और ऐसे स्थानों में पढ़ाने की

उनकी उपयुक्तता कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एक शिक्षक को पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक के छात्रों को एक साथ एवं कभी–कभी एक ही कमरे में पढ़ना आम है।

- जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है की दूरदराज क्षेत्रों के आदिवासी या ग्रामीण छात्रों के लिए शिक्षा प्रणाली में उस विशिष्ट वातावरण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए जिसमें वे रहते हैं। इस पहलू पर नीतिगत चर्चाओं में कोई महत्वपूर्ण विचार नहीं किया गया है। अन्य स्थानों पर किये गए प्रयोगों का अध्ययन करना, कुछ ऐसे लोगों को आमंत्रित करना आवश्यक होगा जिन्होंने विभिन्न नवाचारों की कोशिश की है और इनमें से कुछ को बस्तर में शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जा सकता है ताकि अधिक प्रासंगिक हो सके और जो कुछ पढ़ाया जाता है उसके साथ छात्र बेहतर तरीके से संबद्व हो सकें।
- कौशल निर्माण के संबंध में दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना (डीडीयू–केवीवाई) के तहत विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण के लिए एक अच्छे नेटवर्क के साथ ही एक विस्तृत प्रणाली को अच्छी तरह से विकसित किया गया है। अदवाल में एक लाइवलीहुड कॉलेज भी स्थापित किया गया है। हालांकि, ऐसे युवाओं की नियोजनीयता या काम पाने वाले प्रशिक्षित छात्रों का प्रतिशत आसानी से सत्यापित किया जाना संभव नहीं है। स्थानीय व्यवसायों की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना और उनके अनुसार प्रशिक्षण को अनुकूलित करना उपयोगी होगा।
- समय–समय पर खेलों से सम्बंधित विभिन्न आयोजन होते रहते हैं। इनमें से कुछ लोगों की स्थानीय पहल भी सराहनीय है। दिमापाल में माता रेणुका सेवा संस्थान द्वारा संचालित स्कूल में अधिकारियों ने छात्राओं को फुटबॉल खेलने और अंतर राज्यीय कार्यक्रमों में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कुछ अन्य स्कूलों या प्रतिष्ठानों ने भी खेलों को बढ़ावा दिया है। हालांकि, खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार या सार्वजनिक स्तर पर कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है।

1.3.3. वित्तीय प्राविधान की पर्याप्तता

यदि स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है तो स्कूलों पर पूंजीगत व्यय के लिए धन की आवश्यकता होगी। इसी तरह शिक्षकों की संख्या को बढ़ाने या प्रशिक्षण के बाद उनकी क्षमताओं को और विकसित करने हेतु उन्हें एक्सपोज़र विज़िट पर भेजने में अतिरिक्त खर्च होगा। इसके अलावा स्थानीय संदर्भ में शैक्षणिक उपकरणों और पाठ्य पुस्तकों आदि को प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता का उल्लेख भी पहले के खंडों में किया गया है। इस तरह के प्रासंगिकता के लिए किये जाने वाले अनुसंधान में भी काफी धन का निवेश होगा। इसी प्रकार

वर्तमान तरीकों का आकलन, तरीकों के प्रयोगों को अन्यत्र करना और विशेषज्ञों से परामर्श करना आदि नवाचारों के पायलट परीक्षण और शिक्षकों के प्रशिक्षण के बाद लॉन्च करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में सरकार द्वारा शिक्षा के विकास पर किया जाने वाला खर्च ऐसे उपायों को अपनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

1.4. प्रस्तावित सुझाव

- जिले के अधिकांश स्कूल सरकार द्वारा संचालित हैं या सहायता प्राप्त हैं। इसलिए प्रणाली में सुधार के लिए कोई भी सुझाव सरकारी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की ओर अधिक निर्देशित होगी। यह स्वस्थ्य लोकतांत्रिक समाज में व्यवस्था का एक हिस्सा भी है। हालांकि इस पहलू पर दो बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, सरकार को जो सुझाव दिए जाएंगे उनमें से ज्यादातर पहले से ही उन अधिकारियों को पता होंगे जो वास्तव में क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में बेहतर जानते हैं। सुझाव देते समय और कई बार मांग करने पर निश्चित रूप से यह महसूस किया जाना चाहिए कि कुछ अड़चनें भी होंगी। बेहतर होगा कि लोगों की जवाबदेही की माँग करते समय उन क्षेत्रों का भी पता लगाया जाएगा जहाँ सरकार की कार्यवाही लोगों की सहायक कार्यवाही के पूरक हो सकती है। दूसरे, कुछ क्षेत्रों जैसे नवाचार और शैक्षणिक उपकरणों में अनुकूलन आदि सरकार के समर्थन और सहमति से सरकारी संगठनों की तुलना में नागरिक समाज द्वारा बेहतर तरीके से किये जा सकते हैं। इन दो बिंदुओं के मद्देनजर प्रस्तावित निम्नलिखित अनुभाग इस दृष्टिकोण से अधिक होंगे कि लोगों द्वारा क्या किया जा सकता है (सरकार से मांग करने सहित):
- कस्बों में लोगों के समूह और ग्रामीणों के समूह को स्कूल में बुनियादी ढांचे की स्थिति, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, आयोजित की जा रही कक्षाओं की नियमितता और पढ़ाए जाने वाले विषयों की उपयोगिता, मिड–डे मील की उपलब्धता, गुणवत्ता और अन्य सुविधाओं का प्राविधान आदि की निगरानी करना। यह समूह किसी भी तरह की ड्यूटी या किसी अन्य प्रतिकूल सुविधा के मामले में स्कूल अधिकारियों या सरकार से संपर्क करेगा। आदर्श रूप से इस प्रकार के समूह में प्रत्येक स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के सदस्य होने चाहिए जिन्हें यह कार्य करना है। लेकिन एसएमसी के लिए कोई सीमा होने की स्थिति में या उनके कार्यरत नहीं होने की अवस्था में इस समूह के सदस्य पंचायत के सदस्य, कुछ स्वयं सहायता समूह या गाँवों में विशेष उद्देश्य से बने समूह हो सकते हैं जो अधिकारियों को शिकायतों के निवारण के लिए संपर्क कर सकते हैं। कस्बों में यह संबंधित माता–पिता या नागरिकों का कोई भी समूह हो सकता

है। नागरिकों को एक साथ आने, निगरानी करने और अधिकारियों से सेवाओं की डिलीवरी की मांग करने का विचार है।

- गांव स्थित समूहों के सदस्य शिक्षण की गुणवत्ता का आंकलन करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं अतः एक स्वतंत्र समूह कभी–कभार गांवों का दौरा कर सकता है और छात्रों तथा शिक्षकों के साथ बातचीत करके मूल्यांकन कर सकता है। इस तरह के प्रयास से शिक्षण कर्मचारियों को कर्तव्यों के पालन में सतर्क रखने में मदद मिलेगी।
- शिक्षा और शिक्षण विधियों पर काम करने के लिए रुचि और योग्यता वाले लोगों की पहचान करनी होगी जो संदर्भ विशिष्ट और अनुकूलित शैक्षणिक तरीकों के लिए किये जा रहे प्रयोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें और सुझावों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। सरकार इसमें आगे बढ़ सकती है और बैठकें आयोजित कर सकती हैं। विशेषज्ञों को कहीं और आमंत्रित कर सकती है और अन्य स्थानों के स्कूलों में शिक्षकों और अन्य लोगों के लिए एक्सपोज़र विजिट भी आयोजित कर सकती है जहाँ इस तरह के प्रयोग सफल हुए हैं।
- चूंकि शिक्षकों की संख्या की पर्याप्तता और उनकी नियमित उपलब्धता के साथ–साथ उनकी क्षमता या रुचि में सुधार की आवश्यकता हैं इसलिए यह स्कूलों को सीखने के लिए कंप्यूटर–आधारित सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। सरकारी विभाग को संभवतः उसी के लिए धन प्रदान करने के लिए राजी किया जा सकता है। हालांकि ऐसे शिक्षकों की उपलब्धता ब्यावहारिक रूप से कठिन हो सकती है जो इस तरह के डिजिटल टूल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए शहरी क्षेत्रों के स्वयंसेवकों की आवश्यकता हो सकती है, जो विभाग से उचित सहमति और निर्देशों के साथ छात्रों को कंप्यूटर–आधारित शिक्षण उपकरण के माध्यम से सीखने में मदद कर सकते हैं। इन प्रयासों की नियमितता और निरंतरता सुनिश्चित करनी होगी।
- कौशल निर्माण को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए स्थानीय ब्यवसायियों की आवश्यकताओं के लिए एक सूची बनाई जा सकती है। स्टील प्लांट के चालू होने के बाद संभावित मांगों का भी आंकलन किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो उनकी प्रशिक्षण सामग्री में उपयुक्त संशोधनों के लिए सरकारी विभाग के साथ संपर्क किया जा सकता है।
- खेल और एथलेटिक्स के विकास के लिए विभिन्न केंद्रों के एक नेटवर्क के साथ एक संस्थागत ब्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। हालांकि यह काम सरकार को करना होगा किन्तु नागरिक विभिन्न कार्यक्रमों और कोचिंग शिविरों का आयोजन कर सकते हैं। वे प्रतिभाओं को पहचानने में भी मदद कर सकते हैं और खिलाड़ियों को आधिकारिक निकायों तक पहुंचने में भी मदद कर सकते है। सरकार और नागरिक

दोनों को युवाओं को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करनी चाहिए और विशेष रूप से आदिवासी युवाओं के जन्मजात कौशल को विकसित करना चाहिए। जबकि सरकार को आवश्यक सुविधाएँ, बुनियादी ढाँचा, धन आदि उपलब्ध कराना है और एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में मदद करनी है। नागरिक एक या दो खेलों की पहचान कर सकते हैं जो कुछ एथलेटिक कौशल के रूप में लोकप्रिय हैं। इन खेलों को खेलने की संस्कृति विकसित करने के लिए इन खेल का आयोजन भी कराने होंगे। इसके साथ ही उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि इन खेल और कौशलों में जिला उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है।